


30.07.2024:-पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादी कोई कार्यवाही नहीं चाहता। इस कारण पत्रावली को आज ही पेशी में लिया जाकर वाद पत्र विद्वा के आदेश फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन फर्द अहकाम पर वादी के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा की गई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी वादपत्र मौजूदा सूरत में (खारिज) विद्वा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलेक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

